(1)

256

न्यायालय:- श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक

ता. प्रस्तुति

निगरानी 907-I-15

राजा मिश्रा उम्र 59 साल पिता श्री चन्द्रशेखर मिश्रा

निवासी बजरिया वार्ड नं. 6 दमोह तह. व जिला दमोह -- पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

रामभरोसे गोस्वामी उम्र 80 साल पिता अनंतराम गोस्वामी

निवासी संत रविदास वार्ड, भूतेश्वर मंदिर के पास सागर -- उत्तरवादी

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. संहिता

श्री ...... द्वारा आज दि. 28.4.15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

महोदय,

पुनरीक्षण कर्ता, न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर दमोह द्वारा स्वमेव निगरानी प्रo क्रo 8बी/121 वर्ष 2013-14 में पारित आदेश दिनांक 18.03.2015 से दुखित एवं पीड़ित होकर अन्य आधारों के अलावा निम्न वर्णित आधारों पर अपना यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करते हैं :-

:/: प्रकरण के तथ्य:/:

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम गुन्जी प. ह. नं. 33 राजस्व निरीक्षक मंडल हिन्डोरिया तहसील व जिला दमोह में स्थित भूमि खसरा नंबर 16, 19, 193, 927, 933, 936, रकबा क्रमशः 0.370, 0.130, 0.220, 1.330, 1, 280 कुल रकबा 4.07 है. भूमि पर राजस्व रिकार्ड में पुनरीक्षण कर्ता, राजा मिश्रा का नाम ग्राम गुन्जी तहसील व जिला दमोह की वर्ष 2003-04 की संशोधन पंजी क्रमांक 37 पर दिनांक 20.10.2004 को दर्ज हुआ था व अभी भी दर्ज चला आ रहा है. उक्त पुनरीक्षण कर्ता के नाम दर्ज

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-907/I/15 जिला दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.2.17	1— आवेदक एवं अनावेदक अधिवक्ता उपस्थित। उनके तर्क श्रवण किये गये। यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला दमोह के प्र.क्र.08ब / 121वर्ष2013—14 में पारित आदेश दिनॉक18.03.2015 के विरूद्ध म0प्र0भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि ग्राम गुंजी स्थित भूमि ख0नं0 16 रकवा 0.370 ख0नं0 9 रकवा 0.130ख0नं0 927 रकवा 0.220ख0नं0933 रकवा 1.330ख0नं0936रकवा 1.280 कुल 4.390हे0भूमि जो कि अनावेदक की थी को स्यंम की इक्छा से हमेशा के लिये दी थी एवं दिनॉक 28.04.2003 को गवाहों के समक्ष दस्तावेज भी निष्पादित कराकर मेरे घर आकर सौंप दिया था जिसके आधार पर ही संशोधन पंजी वर्ष2002—03 के अनुसार नामांतरण हुआ था। अनावेदक ने मनगढंत जन सुनवाई में आयुक्त सागर के समक्ष शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने स्वमेव निगरानी में प्रकरण लेकर आदेश पारित किया है जो कि नियम विरूद्ध है जिसे निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया। अनावेदक अधिवक्ता ने मौखिक तर्क के साथ लिखित तर्क भी निर्धारित समय के अंदर प्रस्तुत किये, उनका तर्क है कि अनावेदक स्वतंत्रता संग्राम सैनानी है जिसने इस देश को आजाद कराने में अंग्रेज भारत छोडों आंदोलन में अपनी अहम भूमिका अदा करने के कारण म0प्र0शासन द्वारा दिनॉक 31.03.1967 को उक्त भूमि भू—स्वामी अधिकार के रूप में पट्टा पर प्रदान की थी जिस पर उसका कब्जा भी निरंतर चला आ रहा है, आवेदक मेरा सगा या दूर का रिश्तेदार भी नहीं है जिसने राजस्व अधिकारी से सांठ—गांठ करके मेरी संपूर्ण भूमि को रिश्तेदार अर्थात नाती बताकर पारिवारिक व्यवस्था पत्र के जरिये नाम दर्ज करा लिया जिसके जानकारी होने के पश्चात् ही कमिश्नर के समक्ष जनसुनवाई में शिकायत की जिसकी जॉच टीम गठित करके अनुविभागीय अधिकारी दमोह ने की तदोपरांत ही अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर विधिवत् आदेश पारित किया है जो कि स्थिर रखा जाकर प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है। 3— मैने उभय पक्षों के अधिवक्ता के तर्कों, लिखित बहस एवं	

[कृ. प. उ.

(3)

निग0 907-5/15 (दमोह)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का अवलोकन किया। जिसमें यह निर्विवाद है कि अनावेदक को उक्त भूमि म0प्र0शासन से स्वतंत्रता संग्राम सैनानी होने के नाते भू-स्वामी का पट्टा वर्ष 1967 में प्रदान किया गया है एवं निरंतर काबिज रहकर उसका नाम बतौर भूमि स्वामी के खसरा में चला आ रहा है। अनावेदक द्वारा जन-सुनवाई में आयुक्त सागर के समक्ष शिकायत के आधार पर आयुक्त सागर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी दमोह को स्यंम जॉच करने हेतु लेख किया है जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने दिनॉक 06.06.2014 को अपना जॉच प्रतिवेदन तैयार कर आयुक्त सागर को भेजा जिसमें अनुविभागीय अधिकारी दमोह ने नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक आदि के साथ मौका स्थल एवं संशोधन पंजी आदि की जॉच की थी, जॉच में संशोधन पंजी वर्ष 2002-03, 2003-04 के अवलोकन से संपूर्ण भूमि पर वर्ष 2002-03 तक राजस्व अभिलेखों में रामभरोसे पिता अनंतराम साकिन सागर के नाम दर्ज रहे एवं उक्त भूमि पर संशोधन पंजी वर्ष 2002-03 के क्रमांक 58 पर तत्कालीन नायब तहसीलदार दमोह के आदेश दिनॉक 14.06.2003 के द्वारा अनावेदक की सहमति, आपसी पारिवारिक व्यवस्था पत्र एवं स्थल कब्जा के आधार पर राजशेखर ना.बा.वल्द राजा मिश्रा साकिन दमोह का नाम दर्ज किया गया। संशोधन पंजी में पारिवारिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है किंतु पंजी के साथ उसकी छायाप्रति संलग्न नहीं है। यहॉ तक कि संशोधन पंजी में जो हस्ताक्षर रामभरोसे के है वह भी मेल नहीं खाते है तथा दूसरी संशोधन पंजी पटवारी हल्का नंबर 33ग्राम गुंजी वर्ष 2003-04 के क्रमांक 37 तत्कालीन नायब तहसीलदार दमोह के आदेश दिनॉक 20.10.2004 के माध्यम से ना0बा0पिता व वली राजा मिश्रा के स्थान पर उसके पिता राजा पिता चंद्रशेखर मिश्रा के नाम दर्ज की गयी है किंतु पंजी में समक्ष न्यायालय की अनुमति इत्यादि का कोई उल्लेख नहीं है लेख है। जिसके आधार पर ही अपर कलेक्टर ने आदेश पारित किया है जिसके अवलोकन से ही स्पष्ट होता है कि आवेदक ने अनावेदक की संपूर्ण भूमि को अपने नाम छल कपट से दर्ज करायी थी स्वमेव निगरानी का प्रकरण बनने से ही अपर कलेक्टर ने प्रकरण स्वमेव निगरानी में दर्ज कर उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिवत् आदेश पारित किया है, इस कारण से आदेश में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना मैं उचित नहीं मानता हूँ। निगरानी अस्वीकार योग्य है। 4- उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर कलेक्टर दमोह द्वारा पारित आदेश दिनॉक 18.03.2015 स्थिर रखा जाता है। (हस्ताक्षर) सदस्य	